संख्या-316/47-का-3-2025

प्रेषक,

कुलदीप कुमार रस्तोगी,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

सचिव,
उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग,
लखनऊ।

कार्मिक अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 28 अप्रैल,2025

विषय-द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली लागू किये जाने विषयक शासनादेश संख्या-1103/47-का-3-2020-13/17/2020, दिनांक 20.11.2020 को संशोधित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अध्यक्ष, उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ के अर्द्ध शा0 पत्र संख्या-19/13/चार(परीक्षा-2)/आयोग/2020, दिनांक 09 अप्रैल, 2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली लागू किये जाने विषयक शासनादेश संख्या-1103/47-का-3-2020-13/17/2020, दिनांक 20.11.2020 को संशोधित किये जाने के संबंध में प्रस्ताव उपलब्ध कराते हुए उस पर शासन का अनुमोदन प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गय है।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त शासनादेश संख्या-1103/47-का-3-2020-13/17/2020, दिनांक 20.11.2020 में दी गयी व्यवस्था में आंशिक रूप में संशोधन करते हुए प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा का आयोजन वार्षिक रूप से किये जाने, परीक्षा में प्राप्त अंक अगले तीन वर्ष के लिए प्रभावी होने तथा किसी विज्ञापन के आयोजन के समय एक से अधिक प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा के स्कोर वैध होने की दशा में धारित वैध सर्वाधिक नार्मलाइज्ड अंक के आधार पर आवेदन करने की सुविधा उपलब्ध कराये जाने और उनकी शार्टलिस्टिंग उनके धारित प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा में प्राप्त वैध सर्वाधिक नार्मलाइज्ड अंको के आधार पर किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया जाता है।

कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in